झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — त्रयोदश(मॉनसून)सत्र

संख्या-05 — शुक्रवार, दिनांक-20 जुलाई, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.40 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को सूचित किया कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा को लगातार उनके मोबाईल पर सपरिवार को जाने से मारने की धमकी दी जा रही है, अतएव इनकी सुरक्षा कड़ी की जाय तथा उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय। जिसका समर्थन पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने किया तत्पश्चात् आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री ओझा ने घटना की विस्तृत जानकारी सदन को दी,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने छः विधायकों के सम्बन्ध में लम्बित विषय पर अपने द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव दिये जाने की सूचना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे लेकर पक्ष-विपक्ष में भारी नोंकझोक होने लगा जिसपर माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने खरीद-फरोख्त के मामले में विपक्ष के माननीय सदस्यों को चुनौती दी।

(भारी शोरगुल)

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा दल-बदल मामले पर लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव मामला नियमानुकूल नहीं होने तथा न्यायालय एवं न्यायाधिकरण में लम्बित रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया,

ii- माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी द्वारा गैर-मजरूआ जमीनों की राज्य में रसीद नहीं काटे जाने सम्बन्धी लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया गया, लेकिन इसकी महत्ता को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को संज्ञान में लिये जाने हेतु आसन द्वारा निदेश दिया गया,

iii- माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी द्वारा श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों को होनेवाली कठिनाईयों सम्बन्धी विषय पर दिये गये कार्यस्थग प्रस्ताव सूचना को नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य किया गया, लेकिन विषय की महत्ता को देखते हुए इसे सरकार को संज्ञान में लिये जाने हेतु निदेश दिया गया।

आसन द्वारा प्रश्नकाल पुकारा गया, इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा अ०सू०-52 पूछने हेतु खड़े हुए, परन्तु इस बीच झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने हाथों में पोस्टर लिये हुए भूमि अधिग्रहण विधेयक की

वापसी की माँग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये जिससे अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया **अतएव 11.12 बजे पूर्वा० से लेकर 12.15 बजे अप० तक** के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3. सभा के समक्ष कागजात का रखा जाना :-

माननीय मुख्यमंत्री(प्रभारी वित्त), श्री रघुवर दास द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2016-17 का वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त तथा राजस्व क्षेत्र का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदया के पास भेजा है, को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया। सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परीनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव द्वारा मुखिया संघ द्वारा कई दिनों से धरना दिये जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया तत्पश्चात् पूर्व की भाँति झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य भूमि अधिग्रहण बिल वापसी की माँग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.24 बजे अप० से भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में लाये जा रहे विधेयकों पर आपत्ति दर्ज की और इन्हें राज्यहित के विपरीत बताया जिसका विरोध माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने किया। इस क्रम में विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य सदन की वेल में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरने पर बैठ गये।

4. विधायी कार्यः-

(क) बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018, श्रीमती मेनका सरदार द्वारा प्रस्तुत यथा संशोधित** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 25, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ग) झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाईप लाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 17, खण्ड-1 तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाईप लाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(घ) कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 46, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(च) ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ट) ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन)(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री आलमगीर आलम द्वारा प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सदन की कार्यवाही **3.40 बजे अप० से लेकर शनिवार, दिनांक-21.07.2018 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 20 जुलाई, 2018 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।